न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –3 / 2025

उनवानः–

1. दुर्गासिंह पुत्र काशीराम जाति लोधी निवासी ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर
2. ताराचंद पुत्र काशीराम जाति लोधी निवासी ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर

—————————————प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर —————— असल अप्रार्थी
2. राकेश पुत्र रामजीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर
3. पप्पू उर्फ शेरसिंह पुत्र रामजीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर
4. प्रतापसिंह पुत्र रामजीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर
5. उमादेवी पुत्री रामजीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर
6. गौरी पुत्री रामजीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर

——————————तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी
अधीन धारा 129 भू–राजस्व
अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री योगेश शर्मा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

दिनांकः–02.05.2025

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से आ.ख.नं. 552 रकवा 0.1644 वाके ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर काबिज कास्त है। प्रार्थीगण ने दिनांक 18.06.2024 को खसरा नम्बर 552 रकवा 0.1644 वाके ग्राम फिरोजपुर की विधिवत् अन्य खातेदारान की मौजूदगी में पैमाईश जरिए तहसीलदार धौलपुर करवाई तथा उक्त खसरा नम्बर की सीमाओं पर मुस्तकिल निशानात कायम करवाए थे, जो आज भी मौजूद है। प्रार्थीगण ने उक्त ख.नं. की पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी के लिए तहसीलदार धौलपुर ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ। प्रार्थीगण आवारा पशुओं से फसल पैदावार की सुरक्षा हेतु अपने खर्चे पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 552 वाके ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर की पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश करवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 16.04.2025 में दिनांक 26.06.2024 को आराजी खसरा नम्बर 552 का सीमाज्ञान कराया जाना स्वीकार किया है तथा मौके पर कोई विवाद नही होना बताया है। तथा पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नही की है।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खसरा नम्बर पत्थरगढी करवाऐ जाने का कथन किया।

वकील प्रार्थी को सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 552 वाके ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर की नियमानुसार पत्थरगढी कराए जाने के आदेश दिए जाते है। परवाना तहसीलदार धौलपुर को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)